Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164] Case No.-111/2023

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).
[Service Appeal Case No.- 111 /2023]

Mahdav Mallik..Appellant
Versus
The State of Bihar..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.10.2025	**आदेश** यह सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-1168-2/स्था0, दिनांक-15.9.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं0-17763/2014 में दिनांक-27.7.2023 में पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-11.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी से साक्ष्य की सुपाठ्य प्रतिलिपि (Legible Copy of evidence) कई बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 का अनुपालन नहीं किया गया है तथा केवल अनुमान एवं संयोग के आधार पर आरोप सिद्ध मान लिया गया है। उनका यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता अथवा साक्षियों की गवाही लिये बिना ही आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में वादी द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश दिनांक-15.9.2014 को रद्द करने का अनुरोध किया गया। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा यह कि उन्हें सेवांत लाभ भी नहीं मिला है। राज्य की ओर से बहस करते हुए विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा सभी प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन करते हुए उक्त दंड अधिरोपित किया गया। तथा निम्न न्यायालय का आदेश सही है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत होता है कि इस मामले में अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक-28.5.2012 को विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी और संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक-15.9.2014 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया को देखने से यह स्थिति दृष्टिगत होता है कि इसमें सरकार के स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हुआ है। साथ ही आरोपों एवं साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में Dismissal का दण्ड समानुपातिक रूप से Excessive प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत जिला पदाधिकारी, सुपौल के अपीलाधीन आदेश द्वारा निर्गत 'बर्खास्तगी' के दण्डादेश को संशोधित करते हुए प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दण्ड दिया जाता है। साथ ही जिला पदाधिकारी, सुपौल को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार अपीलार्थी को सभी अनुमान्य सेवांत लाभ का भुगतान 6 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस सेवा अपील वाद का निस्तार किया जाता है। LCR के साथ आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें। 21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	